नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड

(निबंधित कार्यालय : विद्युत भवन, बेली रोड, पटना)

(सामान्य प्रशासन विभाग)

संकल्प संख्या –......605....................../

N-I/PF-AEE-10041/153

दिनांक ......22-05-15........../

श्री राकेश कुमार प्रसाद सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, सीवान (ग्रामीण) के विरूद्ध विद्युत अधीक्षण अभियंता, विद्युत आपूर्ति अचंल छपरा ने पत्रांक 1209 दिनांक 25.04.2015 द्वारा प्रतिवेदित किया कि मौसम विभाग के द्वारा पूर्व से घोषित ऑधी तुफान दिनांक 24.04.2015 को आने की सम्भावना संबंधि सूचना के बावजूद दिनांक 24.04.2015 को श्री प्रसाद को खोज किये जाने पर पाया गया कि वे बिना सूचना के अपने कार्यालय (मुख्यालय) से अनुपस्थित है। दिनांक 24.04.2015 को रात्री लगभग 8:30 बजे आँधी तूफान आने के कारण सीवान में विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई, जिस कम में उनसे सम्पर्क करने पर विद्युत अधीक्षण अभियंता को बताया गया कि वे पटना जा रहे है, किन्तु उन्हें तुरन्त सीवान लौटने के सख्त निदेश दिया गया। श्री प्रसाद द्वारा बताया गया कि उन्हें दिनांक 25.04.2015 को श्री बी0 के0 चौधरी मुख्य अभियंता (परियोजना–I) के समक्ष विभागीय कार्यवाही में उपस्थित होना है। किन्तु जब मुख्य अभियंता (परियोजना–I) से सर्म्पक किया गया तो उनके द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.04.2015 को श्री प्रसाद पर चल रहे विभागीय कार्रवाई की सुनवाई की तिथि निर्धारित नहीं है। श्री प्रसाद के अनाधिकृत अनुपस्थिति के करण गोपालगंज जी0 एस0 एस0 में हाई भोलटेज के कारण सीवान जी0 एस0 एस0 में पावर Extend नहीं किया जा सका। SLDC से सर्म्पक स्थापित कर छपरा जी0एस0 एस0 से सीवान जी0 एस0 एस0 को Power Extend कराकर सीवान शहर का पावर दिनांक 25.04.2015 को लगभग 2:30 बजे प्राप्तः में Restore कराया जा सका। इससे स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता हे कि उनके द्वारा कम्पनी के कार्यो में अभिरूची नहीं ली जा रही है तथा आपका उक्त कृत कम्पनी के हितो के प्रतिकूल है तथा घोर लापरवाही, कर्तव्यहीनता, आदेश की अवहेलना एवं कदाचार का द्योतक है।

उपर्युक्त आरोप के लिए पत्रांक 112 दिनांक 25.04.2015 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया एवं 24 घंटा के अन्दर स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित करने हेतु आदेश दिया गया। श्री प्रसाद ने पत्रांक 85 दिनांक 25.04.2015 द्वारा स्पष्टीकरण का ज़बाव समर्पित किया।

श्री प्रसाद ने स्पष्टीकरण के जबाव मे उल्लेख किया है कि दिनांक 23.04.2015 को दोपहर 12.39 बजे मुख्य अभियंता श्री बी0 के0 चौधरी द्वारा मोवाईल पर बताया गया कि विभागीय कार्यवाही निष्पादन के लिए काफी दवाब है इसलिए दिनांक 30.04.2015 को गवाही हेतु मुख्यालय पटना आ जाए। किन्तु मोवाईल पर सुनने में हुई असुविधा के कारण 25 तारीख सुनाई पड़ा एवं दिनांक 24.04.2015 को संध्या 6:00 बजे विद्युत कार्यपालक अभियंता, सीवान को मुख्यालय छोड़ने का आवेदन समर्पित कर पटना के लिए प्रस्थान किया। लगभग 9:00 बजे रात्रि में विद्युत अधीक्षण अभियंता छपरा से बाते हुई, उनके द्वारा मौसम खराब होने एवं लाईन वाधित होने के कारण सीवान लौटने को कहा गया एवं श्री बी0 के0 चौधरी द्वारा बताया गया कि उनकी गवाही 30.04.2015 को है। किन्तु मौसम काफी खराब होने एवं यातायात वाधित होने के कारण रात्रि में सीवान नहीं लौट सका।

सभी तथ्यों के अवलोकन एवं समीक्षा से श्री प्रसाद द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण का जबाव असंतोषजनक पाया गया।

तनुसार श्री प्रसाद का जवाब असंतोषजनक रहने के कारण निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गयाः–

(1) एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक
(2) कड़ी चेतावनी ।

तदनुसार श्री राकेश कुमार प्रसाद सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, सीवान (ग्रामीण) को निम्नलिखित दण्ड दिया जाती हैः–

(1) एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती हैं।
(2) कड़ी चेतावनी ।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि उक्त संकल्प की हस्ताक्षरित प्रति श्री राकेश कुमार प्रसाद सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, सीवान (ग्रामीण) को अग्रसारित की जाय।

आदेश से,

21.5.15
(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा०सं०एवं प्रशा०)

ज्ञाप संख्या 606 / ना०बि०पा०डि०कं०लि०, दिनांक 22-05-15/

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी/ तकनीकी सचिव/ अवर सचिव/निदेशक (प्रशासन) के वरीय निजी सहायक बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर जेनरेशन कम्पनी लिमिटेड, के वरीय निजी सहायक/प्रबंध निदेशक बिहार स्टेट पावर ट्रान्समीशन कम्पनी लिमिटेड, के आप्त सचिव/प्रबंध निदेशक नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

21.5.15
(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी(मा०सं०एवं प्रशा०)

ज्ञाप संख्या 606 **/ ना०बि०पा०डि०कं०लि०,** **दिनांक** 22-05-15/

प्रतिलिपिः–निदेशक (परियोजना)/ सभी महाप्रबंधक(मा०सं०प्रशा०)/सभी मुख्य अभियंता/सभी उप महाप्रबंधक–सह–विद्युत अधीक्षण अभियंता/सभी विद्युत अधीक्षण अभियंता/महाप्रबंधक (राजस्व)/ सभी विद्युत कार्यपालक अभियंता/विद्युत कार्यपालक अभियंता (आई०टी०)/वरीय प्रबंधक (वित्त एवं लेखा) उप महाप्रबंधक (जनसर्म्पक)/सभी लेखा पदाधिकारी/लेखा पदाधिकारी (स्थापना) नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना/ श्री राकेश कुमार प्रसाद सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, सीवान (ग्रामीण) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21.5.15
(राकेश रंजन)
विशेष कार्य पदाधिकारी (मा०सं०एवं प्रशा०)